


न्यायालय मे श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

(M)



R. 2901- ॥ ॥ ॥

497  
23.8.14

1-दुलारे केवट आत्मज छोटू केवट

2-बंशधारी आत्मज छोटू केवट

3-गया प्रसाद आत्मज धर्मदास केवट

4-दयाले आत्मज धर्मदास केवट

सभी निवासी ग्राम बैरिहा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल  
.....आवेदक गण  
म0प्र0

बनाम

बृजभान सिंह गोड आत्मज हेमराज सिंह गोड निवासी ग्राम देवरी थाना व  
कह0 जयसिंहनगर जिला-शहडोल म0प्र0 .....अनावेदक

बृजभान सिंह गोड आत्मज हेमराज सिंह गोड निवासी ग्राम देवरी थाना व  
कह0 जयसिंहनगर जिला-शहडोल म0प्र0 .....अनावेदक  
दास आज 1988  
प्रस्तुत किया गया  
93.8.14  
M/1  
रुपर  
कैम्प कोर्ट रीवा

स्वमेव निगरानी विरुद्ध व्यवस्थापन  
पट्टा आदेश श्रीमान् तहसीलदार  
महोदय-के रा0प्र0क0 / 300 / अ-19  
(4) / 1987-1988 मे पारित आदेश  
दिनांक 07.07.1988 से परिवेदित

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

क्रमांक ७८८२  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आजमान्यवर,  
दिनांक 25.8.86 को प्राप्त

प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक गण मौजा बैरिहा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल म0प्र0 के पुरत्तेनी बासिन्दा है। तथा राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर अनावेदक मौजा देवरी थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल म0प्र0

// 2 // .....पर

दस्तावेज़

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो—R..2901-II/14

जिला—शहडोल

दुलारे केवट / बृजभान सिंह

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none"><li>प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 संकल्प